

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 124 / 2020-21 2017  
 लेख्य प्रकार- संदेश (भू. जमाबंदी)


03/11/20

अभिलेख का सधारण E-Court (Revenue) में लवित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का सधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नए भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण दुर्त सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0-03-खा0म0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुसंधान/निर्देश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायन की गई जमाबंदीयों को जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायन है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदीदार रैयत का नाम	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कोमला 295	01	-	0.44 Hrs	कीषी खरिन निशा पति समयल निशा	72/III

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।

  
 अंचल अधिकारी  
 बरकट्टा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074 दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदीबन्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 72/III बनाम 295/कीषी खरिन निशा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता बरहों को भेजें।

  
 अंचल अधिकारी  
 बरकट्टा


संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रकम का नाम - वीवी एंड रत निधा W/O समसुलनिपं
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - वॉ 2924

मौजा	थाना स।0	खाता स।0	प्लॉट स।0	रकबा
<u>कौनहरा खुर्द</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>0.44 रू0</u>

3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या 3 पृष्ठ स।0-72 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2006-07 रू
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के स्वामीदार का नाम - वॉ 2924
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश दर्ज नहीं है।
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रकम का नाम - ---
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूदायगी - ---
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राज्य प्रभितृ से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पत्र / लगान निर्धारण पत्र / भू-हस्तांतरण पत्र) पंजी-11 रू
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अतिव्यय का समीक्षा एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	वर्ष: मास तिथि	संशुद्धि का
	<u>713221</u>	<u>10.2.12</u>	<u>2012-13</u>


  
 23/11/2012

अवैध जमाबन्दी का सुधारित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला फॉर्म सित

1. जिला एवं अंचल का नाम - काठमांडू - वरकटवा  
 2. कौ अवैध जमाबन्दीदार का नाम - श्री श्री कन मिश्रा श्री रामशुक्ल मिश्रा  
 3. कौ अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी -

संज्ञा	भागा सं०	खारा सं०	खसरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
कौ नद्वारा सं०	99	1	—	0.44 सठ	गो. खास	गो. खास की नद्वारा सं० के गो. खास खसरा सं० के गो. खास पर खतियानी की किस्म जमीन है।

3. भूमे का वर्तमान स्वरूप - खरी  
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है - 2006-7  
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - काफिरा नहीं है।  
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)  
 6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के नामों में मूल जमाबन्दी रैयत की विवरणी - X  
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार  
 i) अनियोजित सादा हुकुमनामा X  
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) X  
 iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ) X  
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम वा इससे अधिक) X  
 9. अवैध जमाबन्दी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है -  
 i) मूल पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - X  
 ii) अंचल / अनुसंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - X  
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी-II से  
 10. कौ अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नहीं  
 11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारो रसीद तथा उसके साथ सन्कारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं  
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिरोड पुंजारत पंजी में देखल कब्जा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनका पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं  
 13. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरासा सहित - आवेदन नहीं, गो. खास है खतियानी, पदाधिकारियों के नामों का काफिरा नहीं है, काफिरा नहीं है, गो. खास है खतियानी  
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलाय जांचोपरान्त नसब्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - गो. खास है खतियानी, पदाधिकारियों के नामों का काफिरा नहीं है, काफिरा नहीं है, गो. खास है खतियानी

अंचल अ... भूमे सुधार उपरमावत अनुसंडल न... अपर स...  
 गो. खास है खतियानी  
 श्री. ...  
 ...  
 ...